सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया

आवेदन

सूचना प्राप्त करने के लिये लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर आवेदन देना होगा।

- राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त है।
- प्रार्थना पत्र के साथ दस रूपये की फीस नकद/बैंक ड्राप्ट अथवा पोस्टल आर्डर के माध्यम से देनी होगी।
- सूचना 30 दिवस में उपलब्ध करा दी जावेगी।
- प्रतिलिपि के साधारणतया दो रूपये प्रति पृष्ठ लिया जावेगा।
- आवेदन हेतु प्रारूप संलग्न है।

प्रथम अपील

- यदि लोक सूचना अधिकारी 30 दिवस में सूचना नहीं देता अथवा अधूरी सूचना देता है तौ प्रथम अपीलाधिकारी स्तर पर अपील की जा सकती है।
- प्रत्येक विभाग में वरिष्ठतम अधिकारी प्रथम अपीलाधिकारी नियुक्त है।
- प्रथम अपील लोक सूचना अधिकारी के आदेश की तिथि से तीस दिवस में या फिर कोई सूचना न देने पर की जानी चाहिये।
- अपील का प्रारूप भी संलग्न है।
- अपील दो प्रतियों में की जानी चाहिये।

द्वितीय अपील

- प्रथम अपीलादेश से असंतुष्ठ होने पर या तीस दिन में निर्णय नहीं होने पर अपीलादेश की तिथि से 90 दिवस में द्वितीय अपील मुख्य सूचना आयुक्त, राजस्थान सूचना आयोग के समक्ष की जा सकती है।
- अपील का प्रारूप संलग्न है।
- अपील दो प्रतियों में की जानी चाहिये।